FAX
E-Mail

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-स्था0-01-07/2014- 6677 खाद्य/पटना, दिनांक- 21/08/14

प्रेषक,

मोहन प्रसाद,
अपर सचिव -सह- निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- विभागीय स्थानांतरण-पदस्थापन आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक- 6523 दिनांक- 14.08.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या- 3942, 3943, 3944 एवं आदेश संख्या- 3945, 3946, 3947 दिनांक- 30.06.2014 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रोन्नत सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया था । उक्त के अनुपालन में प्रासंगिक पत्र द्वारा विरमन एवं योगदान की सूचना विभाग को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । लेकिन अभी तक कतिपय जिलों को छोड़कर सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं हो सकी है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय निदेश को आपके स्तर से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि स्थानांतरण/पदस्थापन के अनुपालन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा रही है ।

अतः उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना एवं आदेशों द्वारा स्थानांतरित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को नये स्थानांतरित/पदस्थपित स्थान पर योगदान करने हेतु तुरंत विरमित करना सुनिश्चित किया जाय । यदि उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को विरमित नही किया जाता है, तो वे दिनांक- 31.08.2014 अपराह्न से स्वतः विरमित समझें जायेंगे । दिनांक- 31.08.2014 के बाद इन पदाधिकारियों/कर्मियों को नये पदस्थापित स्थान से ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय । विरमन एवं योगदान की सूचना अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
21/8/14
अपर सचिव -सह- निदेशक ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-01-07/2014- 6677 खाद्य/पटना, दिनांक- 21/08/14

प्रतिलिपि- अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/14
अपर सचिव -सह- निदेशक ।